



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122020-223895
CG-DL-E-23122020-223895

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4113]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2020/पौष 2, 1942

No. 4113]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2020/PAUSHA 2, 1942

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4676(अ).—बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, अप्रैल 2021 की 1 तारीख को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 4 के उपबंध राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रभावी होंगे।

[फा. सं. 7/146/2019-बीओए-1]

पंकज जैन, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2020

S.O. 4676(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Banking Regulation (Amendment) Act, 2020 (39 of 2020), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2021 as the date on which the provisions of section 4 of the said Act shall come into force for State Co-operative Banks and Central Co-operative Banks.

[F. No. 7/146/2019-BOA-I]

PANKAJ JAIN, Addl. Secy.

6310 GI/2020